



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052021-227070  
CG-DL-E-19052021-227070

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 17, 2021/वैशाख 27, 1943

No. 265]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 17, 2021/VAISAKHA 27, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2021

सा.का.नि. 331(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। इसको उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन, टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ईमेल: [comments-morth@gov.in](mailto:comments-morth@gov.in) पर भेजा जा सकता है।

उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... .. संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों में यथा निहित के अलावा, ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 6 महीने के बाद, नियम 95 में, उप नियम (1) में, शब्द और अंक “आईएस:15636-2005” के लिए शब्द और अंक “आईएस:15636-2012” को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

3. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, में, नियम 95 में, उप नियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप नियम (1-क) अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:

(1-क) एआईएस 142:2019 में यथापरिभाषित और यथाप्रयोज्य वर्ग ग1, ग2 और ग3 के तहत आने वाले टायर डिजाइन, एआईएस 142: 2019 की स्टेज 2 में यथाविनिर्दिष्ट, समय-समय पर यथासंशोधित, संगत बीआईएस विनिर्देशों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (2016 के 11) के तहत नीचे दी गई तालिका -1 में दी गई समय-सीमा के अनुसार संगत बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित किए जाने तक, रोलिंग प्रतिरोध, वेत ग्रिप और रोलिंग ध्वनि उत्सर्जन की अपेक्षाओं को पूरा करेगा,:

#### तालिका-1

क्र. सं.	टायर का विवरण	कार्यान्वयन की तारीख
1.	टायरों की नई डिजाइन को मोटर वाहनों पर फिट किया जाना है और जो एआईएस:142 के अनुसार यथा प्रयोज्य वर्ग सी1, सी2 और सी3 के तहत आते हैं	1 अक्टूबर 2021
2.	टायरों की मौजूदा डिजाइनों को एआईएस:142 के अनुसार यथा प्रयोज्य वर्ग ग1, ग2 और ग3 के तहत आने वाले मोटर वाहनों पर फिट किया जा रहा है	1 अक्टूबर 2022

[फा. सं. आरटी-11036/61/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

**नोट :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.....(अ), दिनांक ..... के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2021

**G.S.R. 331(E).**— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport & Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

**DRAFT RULES**

**1. Short Title and commencement.**-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In Central Motor Vehicle Rules, 1989, 6 Months from the date of publication of final notification, in rule 95, In sub-rule (1), for the words and figures "IS:15636-2005" the words and figures " IS:15636-2012" shall be substituted.

3. In Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 95, after sub-rule (1), the following sub-rule (1-A) shall be inserted, namely:-

(1-A) The tyre designs falling under class C1, C2 and C3, as defined in AIS 142:2019, and as applicable, shall meet the requirements of Rolling resistance, Wet Grip and Rolling Sound Emissions, as specified in Stage 2 of AIS 142:2019, as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (11 of 2016) against the timelines given in Table-1 below:

**TABLE-1**

Sr. No.	Tyre Description	Date of implementation
1.	New designs of tyres to be fitted on motor vehicles and falling under class C1, C2 and C3 as applicable as per AIS: 142.	1 <sup>st</sup> October 2021
2.	Existing designs of tyres being fitted on motor vehicles tyres falling under class C1, C2 and C3 as applicable as per AIS:142.	1 <sup>st</sup> October 2022

[F. No. RT-11036/61/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

**Note.-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. \_\_\_\_ (E) dated \_\_\_\_.